



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1943 (श10)
(सं० पटना 81) पटना, बृहस्पतिवार, 24 फरवरी 2022

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
23 फरवरी 2022

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) नियमावली, 2022

सं० 08न०वि०(आयो०)-03/2022/593/न०वि० एवं आ०वि०,-बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012(बिहार अधिनियम 20, 2012) की धारा-81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-
 - यह नियमावली बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सम्पूर्ण बिहार राज्य अथवा इसके किसी भाग में होगा।
 - यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के उपनियम-3(i) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“अध्यक्ष, संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी होंगे”
- बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11(3) के उपभाग (iii) को विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,

The 23rd February 2022**The Bihar Urban Planning and Development (Amendment) Rule, 2022**

No.- 08न०वि०(आयो०)-03/2022/594/UD&HD,-In exercise of the power conferred by section-81 of Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 (Bihar Act 20, 2012) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Urban Planning and Development Rule, 2014 :-

1. Short title, extent and commencement :-
 - (1) These Rules may be called the Bihar Urban Planning and Development (Amendment) Rule, 2022
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar or part thereof as may be notified by the State Government.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication of the official Gazette.
2. Sub-Rule 3(i) of the Rule-11 of the Bihar Urban Planning and Development, 2014 is being substituted as following -

"Chairman shall be District Magistrate of the concerned district."
3. Sub-Rule (iii) of Rule -11(3) of the Bihar Urban Planning and Development, 2014 is being deleted .

By Order of the Governor of Bihar,
Satish Kumar Singh,
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 81-571+200-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>